



संख्या— प0नि0 30-95/2026.....4015

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
—सह—जिला दंडाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक—09.10.26

विषय :— वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित जनसंख्या Enumeration Block की चौहद्दी आयोग के मोबाईल ऐप पर अंकित किये जाने के क्रम में आ रही तकनीकी समस्याओं के संबंध में।

प्रसंग:— आयोग के पत्रांक—3865, दिनांक—23.09.2026 एवं पत्रांक—3991, दिनांक—01.10.2026
महाशय,

उपयुक्त विषयक आयोग के प्रासंगिक पत्रों द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना Enumeration Block की चौहद्दी को मोबाईल ऐप्लीकेशन के माध्यम से अंकित किये जाने का निदेश दिया गया है। जिलों द्वारा Enumeration Block की चौहद्दी के अंकन की समीक्षा के क्रम में लगभग 13000 Enumeration Block की मार्किंग संबंधित राजस्व ग्राम की सीमा के बाहर प्रदर्शित हो रही है। कतिपय जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चौहद्दी अंकन के क्रम में संबंधित Enumeration Block उसी राजस्व ग्राम में प्रदर्शित हो रही है परंतु आयोग के ऐप्लीकेशन पर वही Enumeration Block अन्य राजस्व ग्राम में प्रदर्शित हो रहा है अर्थात् आयोग के मैप में ही त्रुटि है अथवा मैप के आंशिक भाग को Redraw करने की आवश्यकता है इस संबंध में आयोग द्वारा जिलों से संबंधित राजस्व ग्राम के राजस्व अभिलेख का मानचित्र एवं आयोग के मैप जो NIC द्वारा निर्मित है, पर Enumeration Block के Allocation का तुलनात्मक साक्ष्य ऐप्लीकेशन पर अपलोड करने का निदेश निर्गत है परन्तु जिलों द्वारा प्रमाणिक साक्ष्य अपलोड नहीं किया जा रहा है। वस्तुतः आयोग को NIC के द्वारा उपलब्ध कराये गए मैप में राजस्व ग्राम की सीमा में परिवर्तन किया जाना संवेदनशील विषय है क्योंकि उसी आधार पर परिसीमन की संपूर्ण गतिविधियाँ संचालित होनी हैं। अतः NIC के मानचित्र की सीमा में यदि परिवर्तन राजस्व अभिलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित होता है एवं आवश्यक प्रतीत होता है तो निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाए:—

(1) आयोग के मोबाईल ऐप पर Enumeration Block की चौहद्दी के अंकन की स्थिति के साथ उस राजस्व ग्राम का मैप जिसमें स्केच द्वारा अतिरिक्त जोड़ा जाने वाला क्षेत्र प्रदर्शित हो।

(2) राजस्व अभिलेख के अनुसार उस राजस्व ग्राम का मानचित्र जिसमें वास्तविक सीमा (Boundary) स्पष्ट हो सके।

(3) NIC के मानचित्र में संबंधित राजस्व ग्राम की सीमा में परिवर्तन से निकटवर्ती प्रभावित राजस्व ग्राम/ग्रामों का उस राजस्व ग्राम के साथ संलग्न मानचित्र का स्केच ताकि सीमा (Boundary) में परिवर्तन से कौन-कौन राजस्व ग्राम की सीमा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

यह भी ध्यान रखा जाए कि राजस्व ग्राम का नक्शा में परिवर्तन संभव नहीं होगा केवल NIC द्वारा निर्मित मैप जिसके कारण 9 बिन्दुओं पर Geo Mapping करने में Centre प्राप्त नहीं हो रहे

हैं उसी में जिला दंडाधिकारी के निर्णय के आलोक में संभव हो सकेगा। NIC के राजस्व ग्राम के मानचित्र की सीमा में परिवर्तन करने हेतु आयोग को भेजे जाने वाले अभिलेखीय साक्ष्य/मानचित्र को अपलोड करने के संबंध में आज दिनांक-09.10.2026 को सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आई.टी. मैनेजर, डी.आई.ओ., प्रोग्रामर तथा उनके टीम को प्रशिक्षण दिया गया है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त मानचित्रों का अंचल अमीन, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित साक्ष्य अबिलंब आयोग के पोर्टल पर अपलोड कराया जाए ताकि NIC के मानचित्र की सीमा में परिवर्तन के संदर्भ में आयोग स्तर से समुचित/यथोचित निर्णय लिया जा सके।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

